Phone : 0657-2299810 (O)

Lal Bahadur Shastri Memorial College

KARANDIH, JAMSHEDPUR - 831 002

A CONSTITUENT UNIT OF KOLHAN UNIVERSITY, CHAIBASA

Ref. No. LBSMC.................................   Date....10/02/2024

अतिआवश्यक सूचना

(e-Kalyan के माध्यम से Stipend भरने के संबंध में)

अंतिम तिथि–20.02.2024

आदिवासी कल्याण आयुक्त के पत्रांक संख्या– 03/छात्रवृत्ति (पोस्ट मैट्रिक)–23/2023/2179, दिनांक– 19.12.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष–2023–24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि Stipend के लिए e-Kalyan Portal पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि– 20.02.2024 तक है एवं महाविद्यालय के द्वारा सत्यापन दिनांक–29.02.2024 तक किया जायेगा ।

नोट :–

1. **महाविद्यालय के वैसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर सेमेस्टर–। में Stipend नहीं लिये है, वे सेमेस्टर–।। में Stipend भर सकते हैं। ज्ञातव्य हो कि Stipend 01 वर्ष में एक बार ही मिलता है।**
2. **Vocational Course (BBA & BCA) के विद्यार्थी ऑफिस से संपर्क कर अपना आवेदन भरेंगे ।**
3. **Bonafide Certificate में Ref. No., Date एवं मुहर का कार्य श्री हरिहर टुडू एवं श्री गोपीनाथ महतो से संपर्क करेंगे ।**
4. **ऑनलाइन आवेदन करने का दिशा निर्देश संलग्न है ।**
5. **किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्प नं0– 8210699608 पर कार्यावधि एवं समयानुसार (समय–10:00 बजे से संध्या–05:00 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं ।**

(डॉ. अशोक कुमार झा)
प्राचार्य

Phone : 0657-2299810 (O)
Lal Bahadur Shastri Memorial College
KARANDIH, JAMSHEDPUR - 831 002
A CONSTITUENT UNIT OF KOLHAN UNIVERSITY, CHAIBASA

Ref. No. LBSMC.................................. Date 10/02/2024

अतिआवश्यक सूचना

(e-Kalyan के माध्यम से Stipend भरने वाले विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश)

अंतिम तिथि–20.02.2024

1. Bonafide Certificate को भरकर संबंधित काउंटर पर नामांकन चालान के साथ जाँच करवाएंगे । स्नातक सेमेस्टर–। के विद्यार्थी ऑफलाइन का चालान एवं ऑनलाइन के माध्यम से रू0 250/450 का चालान भी प्रस्तुत करेंगे ।
2. जाँचोपरांत Bonafide Certificate में Ref. No., Date एवं मुहर लगाकर प्राचार्य के हस्ताक्षर के स्थान पर प्रो0 संतोष राम, प्रो0 पुरुषोत्तम प्रसाद (NSS Room) एवं प्रो0 अरबिंद प्रसाद पंडित (Academic Building, Chemistry Department) से हस्ताक्षर करवाएंगे ।
3. ज्ञातव्य हो कि Stipend साल में एक ही बार मिलता है । इंटरमीडिएट कक्षा–11 में एवं कक्षा–12 में और स्नातक, BBA and BCA के विद्यार्थी को सेमेस्टर–1 एवं 2 को मिलाकर एक या सेमेस्टर–3 एवं 4 को मिलाकर एक या सेमेस्टर–5 एवं 6 को मिलाकर एक तथा स्नातकोत्तर सेमेस्टर– 1 एवं 2 को मिलाकर एक या सेमेस्टर– 3 एवं 4 को मिलाकर एक ।
4. किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्प नं0– 8210699608 पर कार्यावधि एवं समयानुसार (समय–10:00 बजे से संध्या– 05:00 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं ।

(डॉ. अशोक कुमार झा)
प्राचार्य

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्पलेक्स, मोराबादी, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठयकमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष–2023–24 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वितीय वर्ष–2023–24 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यकमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा :–**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ, जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. **आवेदन करने की प्रक्रिया :–**

अहर्त्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण–पत्रों की **Scanned Copy (jpeg/jpg** में **1mb** तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें :–

(i) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र **(Income Certificate)** (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक–01.08.2023 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)

(ii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र **(Caste Certificate)** (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र **(Residential Certificate)** (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iv) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत **Bonafide Certificate (with Fee Structure** निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)

(v) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र **(Mark Sheet of previous exam)** की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र–छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी। (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)।

3. **ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:–**

क0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि	20.12.2023	10.01.2024
2.	शैक्षणिक सत्र–2023–24 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	11.01.2024	20.02.2024
3.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	12.01.2024	29.02.2024